



राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांक : जिआप्रप्रा / SDRF / Restoration / 2024-25 / 83675

दिनांक: 21/11/2024

-:: प्रशासनिक स्वीकृति ::-

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 83549 दिनांक 11.09.2024, 83594 दिनांक 09.10.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक एफ.8(31)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ 11818137 दिनांक 18.11.2024 के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त स्वीकृति की पालना में मानसून सत्र 2024 के दौरान अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सावर्जनिक परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार है -

जिला भीलवाडा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़को का विवरण						
क्र. स.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	डिवीजन का नाम	ब्लॉक	रोड की संख्या	रोड की लम्बाई (कि.मी. में)	राशि (लाखो मे)
1	सा.नि.वि.खण्ड, भीलवाडा	आसीन्द	आसीन्द	50	143.28	85.97
2		माण्डलगढ	कोटडी	21	93.67	56.20
योग				71	236.95	142.17

जिला शाहपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़को का विवरण						
क्र.स.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	डिवीजन का नाम	ब्लॉक	रोड की संख्या	रोड की लम्बाई (कि.मी. में)	राशि (लाखों में)
1	सा.नि.वि.खण्ड, शाहपुरा	कोटडी	कोटडी	49	208.66	139.36
योग				49	208.66	139.36

कुल योग

क्र.स.	जिला	कुल सड़के	कुल राशि (लाखों में)
1	भीलवाड़ा	71	142.17
2	शाहपुरा	49	139.36
महायोग		120	281.53

राज्य सरकार से निम्न बजट मद में बजट प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

बजट मद—

- 2245— प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02— बाढचक्रवात आदि
106— खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
08— (बाढ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
01— सडकों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)

Signature valid

Digitally signed by Nandit Mehta
Designation: Collector & District
Magistrate

Date: 2024.11.21 13:35:09 IST



इस राशि का उपयोग निम्न शर्तों की अक्षरशः पालना के पश्चात् किया जायेगा :-

- (i) विभाग द्वारा Per Km दर से राशि का निर्धारण SDRF नॉर्म्स अनुसार किया गया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़को के Restoration पर न करें।
- (ii) बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर इस कार्यालय स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iii) वे सड़के जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है। अतः इसकी सुनिश्चितता की जावे।
- (iv) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे SDRF में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- (v) इस कार्यालय से बजट की मांग किए जाने से पूर्व बजट SDRF नार्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि की गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जावे। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जावे।
- (vi) कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वीकृत कार्यों को कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें। कार्य प्रारम्भ की दिनांक से इस कार्यालय को अवगत करावे।
- (vii) उपखण्ड स्तरीय समिति से यह प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है एवं समस्त कार्य SDRF मापदण्ड व प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- (viii) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे।
- (ix) क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- (x) कार्य पूर्ण होने के पूर्व तथा पश्चात् के GPS फोटोग्राफ अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीलवाड़ा द्वारा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे जावे।
- (xi) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (xii) वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- (xiii) परिसम्पत्तियों का तात्कालिक मरम्मत एवं पुनरुत्थान ही किया जाना है, न कि नया निर्माण।
- (xiv) इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति जारी कर अपेक्षित बजट मांग इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- (xv) श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक एफ. 8(31)आ.प्र. एवं सहा. /बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ 10705517 दिनांक 24.09.2024 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अक्षरशः पालना की जावे।

नोट :-

1. सा.नि.वि. खण्ड माण्डलगढ ब्लॉक कोटडी के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.स. 01 की ODR सड़क नॉर्म्स के अन्तर्गत कॅवर नहीं होने से विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

Signature Valid

Digitally signed by **Dr. Nandit Mehta**
Designation: **Collector & District**
Magistrate
Date: 2024.11.20 13:35:09 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. जिला कलक्टर, शाहपुरा।
04. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, भीलवाड़ा एवं शाहपुरा उपरोक्तानुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करा तत्काल इस कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करावें।
07. उपखण्ड अधिकारी कोटडी एवं आसीन्द को पालनार्थ।
08. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आसीन्द, माण्डलगढ एवं शाहपुरा को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

**जिला कलक्टर
भीलवाड़ा**

Signature valid

Digitally signed by Nareet Mehta
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.11.20 13:35:09 IST
Reason: Approved

3